

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- विन्दु वाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 49/2023

किरम :- वाद-पत्र

दायर दिनांक : 13.04.2023

निर्णय दिनांक : 23.02.2026

**अनवान**

- 1- राहुल पिता राधेश्याम जाति जाट नाबालिग वविलायत माता भुरी पत्नि राधेश्याम जाट निवासी बेहडा का खेडा हाल निवासी देवडो का खेडा तहसील भुपालाभागर जिला चित्तौडगढ

वादी

**बनाम**

- 1- जवारू उर्फ जवाहरमल पिता मंगना जाति जाट, निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 2- राधेश्याम पिता रामचन्द्र जी जाति जाट नि. बेहडा का खेडा
- 3- कृष्णा पिता रामचन्द्र जी जाति जाट नि. बेहडा का खेडा
- 4- अनोखी देवी पति कैलाशचन्द्र जी जाति जाट नि. बेहडा का खेडा
- 5- अमरा पुत्र वेणा जी जाति जाट नि. बेहडा का खेडा
- 6- कमला पुत्री हरिराम जी जाति जाट नि. बेहडा का खेडा
- 7- कैलाशी पुत्री बद्रीलाल जी जाति जाट नि. बेहडा का खेडा
- 8- किशनलाल पिता सुरजमल जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 9- छोंगा पुत्र माधु जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 10- जगदीश पुत्र चम्पा जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 11- देवीलाल पुत्र बद्रीलाल जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 12- प्यारी पति माधु जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 13- प्रकाश पिता बद्रीलाल जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 14- बद्री पुत्र भेरू जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 15- बद्रीलाल पिता चम्पा जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 16- बदामी पुत्री हरिराम जी जाति निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 17- बदामी पुत्री चम्पा जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 18- भगवानी पत्नि बद्रीलाल जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 19- मेतावी पुत्री लेहरु जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 20- मांगीलाल पुत्र चम्पा जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 21- माधु पुत्र भेरू जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 22- मोडीराम पुत्र चम्पा जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 23- रामचन्द्र पुत्र डालू जी जाति जाट (नोटरू मृत) निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 24- रामलाल पिता लेहरु जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 25- रोशन पुत्र माधु जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 26- रोशन पुत्र प्रथा जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 27- रोशन पुत्र हरिराम जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 28- लहरी पत्नि हरिराम जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 29- शंकर पुत्र माधु जी जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा

सहायक कलक्टर  
उप खण्ड अधिकारी  
रेलमगरा

- 30-शंकर पुत्र लेहरू जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 31-सुन्दर चाई पति माधु जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 32-सुरेशचन्द्र पुत्र रोशन जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 33-सुशीला पुत्री हरिराम जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 34-सीता देवी पति बालुराम जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 35-सोहनलाल पुत्र छोगालाल जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 36-सोहनी पुत्री लेहरू जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 37-प्रकाश पिता भैरूलाल जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 38-देवीलाल पिता भैरूलाल जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 39-कैलाशी पुत्री भैरूलाल जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 40-सीता देवी पति शान्तिलाल जी जाति जाट नि. चरापा तहसील रेलमगरा
- 41-गणेश पुत्र कालु जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 42-झमकू पति स्वण् रामचन्द्र जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 43-बद्रीलाल पिता रामचन्द्र जी जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 44- राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता- परसराम जाट  
प्रतिवादी अधिवक्ता- अनुपस्थित

### निर्णय

वादी की ओर से निम्न निवेदन है, कि राजस्व गांव मालीखेडा तहसील रेलमगरा में स्थित आराजीयात् वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की मौरूसी जायदाद (अ) खाता संख्या 65 आराजी संख्या 121,122,123,124, 125,126,127, 128,129, 181,188,194, 215,216,223,224,225,244,247,252,255,259,262,266,35,36,42,43,रकबा कुल किता 28 कुल रकबा 8.0856 हेक्टेयर (ब) आराजी संख्या 111,112,113 कुल किता 03 कुल रकबा 2.5333 हेक्टेयर, (स) आराजी संख्या 24 कुल किता 01 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, (द) आराजी संख्या 265,267, कुल किता 02 कुल रकबा 0.4937 हेक्टेयर यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 (अ) में वर्णित आराजीयात् कुल किता 28 कुल रकबा 8.0856 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/16 हिस्सा बनता है तथा कलम संख्या 01(ब) में वर्णित आराजीयात् कुल किता 03 कुल रकबा 2.5333 हेक्टेयर में वादी का 1/64 हिस्सा बनता है। तथा वादपत्र की कलम संख्या 01 (स) में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.0728 हेक्टेयर में वादी का 1/64 वां हिस्सा बनता है तथा वादपत्र की कलम संख्या 01(द) में वर्णित आराजीयात् कुल किता 2दो कुल रकबा 0.4937 हेक्टेयर में वादी का 1/16 हिस्सा बनता है। उक्त आराजीयात् मगना पिता कैला जी जाति जाट के खातेदारी उपयोग उपभोग की होकर मौरूसी सहदायिकी भूमियां होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 सहदायिकी है श्री मगना वादी राहुल के पडदादाजी होकर मगना के एक पुत्र जवारु उर्फ जवाहरमल व जवाहरमल के एक पुत्र रामचन्द्र व रामचन्द्र के एक पुत्र राधेश्याम व राधेश्याम के एक पुत्र राहुल (वादी) उत्पन्न हुआ। जिनका सजरा पत्रावली पर है, वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् वादी की मौरूसी सहदायिकी जायदाद होकर प्रतिवादी संख्या 01 परिवार का मुखिया होकर विरासत से मगना की मृत्यु पश्चात् अन्तकाल प्रतिवादी संख्या 01 जवारु उर्फ जवाहरमल

सहायक कलक्टर  
खण्ड अधिकारी  
राजसमन्द

के नाम पर खुला है जबकि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की सहदायिकी सम्पत्तियां होने से वादी का भी बराबर - बराबर हक अधिकार बनता है तथा उक्त भूमियां संयुक्त होकर सभी संयुक्त रूप से इसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। यह कि प्रतिवादी संख्या 01 वादी से अनावश्यक रूप से दुश्मनी रखता है तथा येनकेन प्रकारेण वादी व उसकी माता को नुकसान पहुंचाने को आमोदा रहता है प्रतिवादी संख्या 01 एक वादी व उसकी माता को मौरूसी सम्पत्ति से जो कि वादी के पडदादाजी मगना जी से प्राप्त हुई है से वेदखल करने पर उतारू है तथा उक्त सम्पत्तियां अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय, रहन, बह, बख्शिशाश करने पर उतारू है अगर प्रतिवादी संख्या 01 उक्त मौरूसी सम्पत्तियों को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बह, बख्शिशाश विक्रय कर देगा तो मुझ वादी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा तथा वादी को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति नगदी में सम्भव नहीं है तथा उक्त मौरूसी सम्पत्तियों को प्रतिवादी संख्या 01को रहन, बह, बख्शिशाश विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि प्रतिवादी संख्या 01 अपने नाम पर स्थित मौरूसी जमीन को अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय, रहन, बख्शिशाश करने पर उतारू है जबकि उक्त आराजीयात् में वादी का भी हिस्सा निहित है जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर होने से अन्यत्र विक्रय करने पर उतारू है जिसको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है अन्यथा वादी को भारी नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नगदी में सम्भव नहीं होगी तथा अनावश्यक विवाद होने की सम्भावना है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् में वादी का जो हिस्सा बनता है वह हिस्सा वादी के नाम घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जावे। यदि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 01 अगर वादग्रस्त आराजीयात् को कही अन्य के नाम पर स्थानान्तरित कर देता है तो रिकार्ड में वापस पूर्ववत् स्थिति कायम कराई जावे। यह कि वाद हेतुक आज से 10 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 को अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करवाने के लिए मौखिक रूप से कहा गया तो प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को उक्त आराजीयात् अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय स्थानान्तरित करने की धमकियां दी तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि प्रतिवादी संख्या 04 से लगायत 43 का जमाबंदी में नाम अंकित होने से उनको आवश्यक पक्षकार बनाया गया मगर उनसे किसी भी प्रकार की कोई दाद नहीं चाही गई है तथा प्रतिवादी संख्या 43 तितालीस भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् में हिस्सा निहित है मगर वह वादी नहीं बनना चाहते है इसलिये इनको प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया गया है मगर उनसे भी कोई दाद नहीं चाही गई है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात् गांव मालीखेड़ा तहसील रेलमगरा में स्थित होने से उक्त वादपत्र को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादपत्र की कलम संख्या 01 (अ,ब,स,द,) में वर्णित आराजीयात् में वादी का वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित हिस्से अनुसार हिस्सा घोषित फरमाया जावे। एवं वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण बाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करे, इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। तथा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 01 अगर वादग्रस्त आराजीयात् को अन्य किसी व्यक्ति को स्थानान्तरित कर देता है तो उसकी पूर्ववत् स्थिति कायम फरमाई जावे। अन्य कोई समुचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

सहायक क्लर्क  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, से 35 व 37 से 43 अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 14, 17, 19, 23, 36, 44 के विरुद्ध अधिवक्ता वादी ने कोई कार्यवाही नहीं चाही गयी। प्रतिवादी संख्या 45 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है, किन्तु इनके विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही गयी।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह भुशी का शपथपत्र प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है एवं गांव मालीखेडा तहसील रेलमगरा में स्थित आराजीयात् वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की मौरूसी जायदाद (अ) खाता संख्या 65 आराजी संख्या 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 181, 188, 194, 215, 216, 223, 224, 225, 244, 247, 252, 255, 259, 262, 266, 35, 36, 42, 43, रकबा कुल किता 28 कुल रकबा 8.0856 हेक्टेयर (ब) आराजी संख्या 111, 112, 113 कुल किता 03 कुल रकबा 2.5333 हेक्टेयर, (स) आराजी संख्या 24 कुल किता 01 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, (द) आराजी संख्या 265, 267, कुल किता 02 कुल रकबा 0.4937 हेक्टेयर, (अ) में किता 28 कुल रकबा 8.0856 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/16 हिस्सा, (ब) में वर्णित आराजीयात् कुल किता 03 कुल रकबा 2.5333 हेक्टेयर में वादी का 1/64 हिस्सा तथा (स) में वर्णित आराजीयात् कुल किता 01 कुल रकबा 0.0728 हेक्टेयर में वादी का 1/64 वां हिस्सा (द) में वर्णित आराजीयात् कुल किता 02 कुल रकबा 0.4937 हेक्टेयर में वादी का 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

5  
(विन्डुबाला राजावत)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा  
सहायक कलेक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला-राजसमंद

निवासी अधिकारी :- विन्दुबाला राजावत आर ए एस.

राजस्व वाद संख्या :- 49/2023

अनवान

वादीपक्ष :-

- 1- राहुल पिता राधेश्याम जाति जाट नाबालिग बचपान माला भुरी पत्नि राधेश्याम जाट निवासी बेहडा का खेडा हाल निवासी देवडो का खेडा तहसील भुपालसागर जिला चित्तौडगढ़

बनाम

प्रतिवादी पक्ष:-

- 1- जवारू उर्फ जवाहरमल पिता मंगना जाति जाट, निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
2- राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति जाट नि. बेहडा का खेडा  
3- कृष्णा पिता रामचन्द्र जाति जाट नि. बेहडा का खेडा  
4- अनोखी देवी पति कैलाशचन्द्र जाति जाट नि. बेहडा का खेडा  
5- अमरा पुत्र वेणा जाति जाट नि. बेहडा का खेडा  
6- कमला पुत्री हरिराम जाति जाट नि. बेहडा का खेडा  
7- कैलाशी पुत्री बद्रीलाल जाति जाट नि. बेहडा का खेडा  
8- किशनलाल पिता सुरजमल जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
9- छोंगा पुत्र माधु जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
10- जगदीश पुत्र चम्पा जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
11- देवीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
12- प्यारी पति माधु जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
13- प्रकाश पिता बद्रीलाल जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
14- बद्री पुत्र भेरू जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
15- बद्रीलाल पिता चम्पा जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
16- बदामी पुत्री हरिराम जाति निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
17- बदामी पुत्री चम्पा जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
18- भगवानी पत्नि बद्रीलाल जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
19- मेतावी पुत्री लेहरु जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
20- मांगीलाल पुत्र चम्पा जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
21- माधु पुत्र भेरू जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
22- मोडीराम पुत्र चम्पा जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
23- रामचन्द्र पुत्र डालु जाति जाट (मूल) निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
24- रामलाल पिता लेहरु जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
25- रोशन पुत्र माधु जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
26- रोशन पुत्र प्रथा जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
27- रोशन पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
28- लहरी पत्नि हरिराम जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
29- शंकर पुत्र माधु जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
30- शंकर पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा  
31- सुन्दर वाई पति माधु जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा

सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

- 32.-सुरेशचन्द्र पुत्र रोशन जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 33.-सुशीला पुत्री हरिचम जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 34.-सीता देवी पति बालुराम जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 35.-सोहनलाल पुत्र छोगालाल जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 36.-सोहनी पुत्री लेहरू जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 37.-प्रकाश पिता भैरूलाल जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 38.-देवीलाल पिता भैरूलाल जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 39.-कैलाशी पुत्री भैरूलाल जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 40.-सीता देवी पति शान्तिलाल जाति जाट नि. चराणा तहसील रेलमगरा
- 41.-गणेश पुत्र कालु जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 42.-डामकू पति रमचन्द्र जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 43.-बद्रीलाल पिता रमचन्द्र जाति जाट निवासी वेहडा का खेडा तहसील रेलमगरा
- 44.-राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजरामन्द

दावा :- वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अधि. 1955

वादी की ओर से:- अधिवक्ता परसराम जाट

प्रतिवादीगण की ओर से:- अनुपस्थित

मे इस आशय में दिनांक 23.02.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का दस्तावेजी साक्ष्य संसाधित कराया है। लिहाजा झिंकी किया जाता हैं गांव मालीखेडा तहसील रेलमगरा में स्थित आराजीयात् वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व की मौरूसी जायदाद (अ) खाता संख्या 65 आराजी संख्या 121,122,123,124, 125,126,127, 128,129, 181,188,194, 215,216, 223, 224, 225, 244, 247, 252, 255, 259, 262, 266, 35, 36, 42, 43,रकबा कुल कित्ता 28 कुल रकबा 8.0856 हेक्टेयर (ब) आराजी संख्या 111,112,113 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 2.5333 हेक्टेयर, (स) आराजी संख्या 24 कुल कित्ता 01 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, (द) आराजी संख्या 265,267, कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.4937 हेक्टेयर,(अ) में कित्ता 28 कुल रकबा 8.0856 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/16 हिस्सा, (ब) में वर्णित आराजीयात् कुल कित्ता 03 कुल रकबा 2.5333 हेक्टेयर में वादी का 1/64 हिस्सा तथा (स) में वर्णित आराजीयात् कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.0728 हेक्टेयर में वादी का 1/64 वां हिस्सा (द) में वर्णित आराजीयात् कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.4937 हेक्टेयर में वादी का 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करें।

आज दिनांक को 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दुबाला राजावत)  
सहायक कलक्टर एवं  
सहायक अधिवक्ता रेलमगरा  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा